

डीप फ्रीज में प्लास्टिक की थैली में लगभग 4 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर, आमजन को बिक्री हेतु रखा हुए पाया, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता चांद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद को गवाह श्री चन्दनदास के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स मिरानी डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचे, ब्लॉक नं. 03, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही की दुकान के अन्दर एक डीप फ्रीज में आमजन को बिक्री हेतु प्लास्टिक की थैली में रखे हुये लगभग 4 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर में से 01 (एक) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/- (रुपये तीन सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता चांद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा एक किलोग्राम पनीर को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में फार्मलीन की 20-20 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) के कोड एवं क्रमांक S-2599, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी चांद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर के चारों नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा पनीर की चारों नमूना शीशीयों को अलग-अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता चांद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता चांद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील करने के समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां, दो लिफाफों में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 10-3-2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री बाबुलाल मीणा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को दिनांक 09-3-2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मिरानी डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचे, ब्लॉक नं 3, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता चांद मोहम्मद पुत्र. नूर मोहम्मद, निवासी- बडी गली घोसी मोहल्ला, आबूरोड़, जिला- सिरौही से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक

.....पेज तीन पर




बति. जिला बाजारियत
सिरौही-307001.

अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2599 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./125/Act/2025/72 दिनांक 19-3-2025 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चांद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स मिरानी डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचे, ब्लॉक नं0 3, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (नमूना संख्या S-2599) के विक्रय हेतु प्रतिवादी चांद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स मिरानी डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचे, ब्लॉक नं0 3, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही, स्थाई पता:- बडी गली, घोसी मोहल्ला, आबूरोड़, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, चांद मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स मिरानी डेयरी, चम्पा कुआं के पास, मीट मार्केट के नीचे, ब्लॉक नं0 3, माउन्ट आबू, जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय/आदेश सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरौही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)